न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–174 / 2026
तरियानी थाना कांड संख्या–63 / 2026.
सरकार बनाम् अनिल सिंह व अन्य
अंतर्गत धारा–339(3), 126(2), 118(1), 109(1), 76, 74, 303(2), 352, 351(2), 351(3), 3(5) of BNS.

1. अनिल सिंह, पिता– स्व0 भीखर सिंह, उम्र– 55 वर्ष
2. बजरंगी कुमार, पिता– अनिल सिंह, उम्र– 19 वर्ष
दोनों साकिन–सरवरपुर, थाना–तरियानीं, जिला–शिवहर .....आवेदकगण।

बनाम्

बिहार सरकार .....विपक्षी।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता –श्री शम्भू शरण गिरी।
बिहार सरकार की ओर से विद्वान लोक अभियोजक –श्री सुरेश राय।

उपस्थितिः दीपक कुमार,
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवहर।
28.04.2026

दिनांक–28.04.2026

आदेश

अभियुक्तगण 1. अनिल सिंह एवं 2. बजरंगी कुमार जिनका मामला तरियानी थाना कांड कांड संख्या–63 / 2026 अंतर्गत धारा–339(3), 126(2), 118(1), 109(1), 76, 74, 303(2), 352, 351(2), 351(3), 3(5) of BNS. के लिए दर्ज किया गया है, में उनके द्वारा उक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की प्रत्याशा में अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिनको उनके सम्बद्व विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भू शरण गिरी के द्वारा संचालित किया गया, जिस पर उनको एवं अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री सुरेश राय को सुना गया। सूचक भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

अभियोजन का मामला प्राथमिकी के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार है, जिसमें सुधीर सिंह ने तरियानी थाना पर दिये गये अपने लिखित आवेदन में लिखा है कि–दिनांक–03.03.2026 को रात्री दो बजे मैं अपने घर के अन्दर सोया था, तभी अनिल सिंह (अभियुक्त), बजरंगी सिंह (अभियुक्त), शर्मिला देवी एक राय विचार कर चाकू, लाठी, गरासा लेकर मेरे घर के आगे गाली देते हुए बोलने लगे कि निकलो आज तुम्हारा हत्या कर देंगे, जब मैं घर से बाहर निकला, तभी अनिल सिंह जान मारने के नियत से चाकू सर पर चलाया, जिससे मेरा सर कट गया, दुबारा मेरे बॉह पर चलाया, बॉह कट गया, बजरंगी सिंह (अभियुक्त), रड से सीना पर मारा, तभी मेरी पत्नी बचाने आई तो उसे भी अनिल सिंह (अभियुक्त) एवं बजरंगी सिंह (अभियुक्त) झोंटा पकड़कर जमीन पर पटक दिया तथा शरीर का कपड़ा फाड़कर नग्न कर दिया तथा मारपीट किया। शर्मिला देवी मेरे गले से सोने का हनुमानी छीन लिया। लोगों के जुटने पर सभी लोग भाग गया, तब मुझे ईलाज हेतु सरकारी अस्पताल, तरियानी ले गया, जहॉ रेफर किया गया, तब मैं सरोजा सदर अस्पताल, शिवहर में इलाज कराया तथा यह आवेदन दे रहा हूँ। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया है।

अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि अभियुक्तगण की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई अग्रिम जमानत आवेदन किसी अन्य वरीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है और न ही लंबित है। अभियुक्त अनिल सिंह के विरूद्व तरियानी थाना कांड संख्या–186 / 2021, तरियानी

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–174 / 2026
तरियानी थाना कांड संख्या–63 / 2026.
सरकार बनाम् अनिल सिंह व अन्य
अंतर्गत धारा–339(3), 126(2), 118(1), 109(1), 76, 74, 303(2), 352, 351(2), 351(3), 3(5) of BNS.

थाना कांड संख्या–116 / 2021, तरियानी थाना कांड संख्या–144 / 2021 एवं तरियानी थाना कांड संख्या–10 / 2025 दर्ज है एवं अभियुक्त बजरंगी कुमार के विरूद्ध तरियानी थाना कांड संख्या–10 / 2025 दर्ज है। उपरोक्त मुकदमा आपराधिक दबाब के लिए इस वाद के सूचक एवं सूचक के पत्नी के द्वारा किया गया है। अभियुक्तगण निर्दोष है एवं गॉव की गंदी राजनीति के कारण बनावटी मुकदमा में उसे फंसा दिया गया है। दिनांक–03.03.2026 की घटना के लिए दिनांक–07.03.2026 को प्राथमिकी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। अभियुक्तगण एवं सूचक आपस में सहोदर भाई एवं भतीजा हैं। दोनों पक्षों के बीच पूर्व से जमीन संबंधी विवाद चल रहा है और इसी विवाद के कारण अपराधिक दबाव डालने की नियत से यह कांड अंकित कराया गया है। प्रस्तुत वाद की घटनातिथि के ही दिन सूचक एवं अन्य ने अभियुक्तगण के साथ सख्त मारपीट किया था, जिसके लिए आवेदक संख्या 1 की पत्नी शर्मीला देवी ने परिवाद–पत्र संख्या–44 / 2026 (परिवाद–पत्र के बजाप्ता नकल की छाया–प्रति संलग्न) दाखिल किया है। अभियुक्तगण अपने जमानत में विश्वसनीय जमानतदारों द्वारा बंध–पत्र समर्पित कराने को तैयार है तथा उसके पलायन की कोई संभावना नहीं है। अतः अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की जाये।

विद्वान लोक अभियोजक एवं सूचक के विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना तथा प्राथमिकी एवं वाद दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी एवं वाद दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण अनिल सिंह एवं बजरंगी सिंह प्राथमिकी में नामजद हैं। सूचक एवं आवदेकगण आपस में सहोदर भाई एवं भतीजा हैं, जिनके बीच पूर्व से भूमि विवाद चल रहा है एवं दोनों पक्षों के बीच वाद एवं प्रतिवाद है। प्रस्तुत वाद की घटनातिथि के ही दिन सूचक एवं अन्य ने आवेदकगण के साथ मारपीट किया था, जिसके लिए प्रस्तुत वाद के आवेदकगण ने भी सूचक एवं अन्य के विरूद्व न्यायालय के समक्ष परिवाद–पत्र संख्या–44 / 2026 (परिवाद–पत्र के बजाप्ता नकल की छाया–प्रति अग्रिम जमानत आवेदन के साथ संलग्न) दाखिल किया है। दिनांक–03.03.2026 की घटना के लिए प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी दिनांक–07.03.2026 को, विलम्ब से दर्ज करायी गई है। वाद दैनिकी की कंडिका–04. पर वादी का पुनःबयान है, जिसमें उन्होंने जमीन संबंधी विवाद को लेकर प्राथमिकी में वर्णित घ टना का समर्थन किया है, लेकिन गर्दन से हनुमानी किसने निकाला, इस संबंध में अभियुक्तगण या प्राथमिकी में वर्णित किसी अन्य विशिष्ट सहअभियुक्त का नाम नहीं बताया है। कांड दैनिकी की कंडिका–24 में पर्यवेक्षण टिप्पणी का उल्लेख है, जिसमें अन्य तथ्यों के साथ यह भी वर्णित है कि–"पर्यवेक्षण के क्रम में यह पाया कि उभयपक्षों के बीच जमीनी विवाद है"। वाद दैनिकी की कंडिका–36 में अभियुक्त अनिल सिंह के विरूद्व तरियानी थाना कांड संख्या–186 / 2021, तरियानी थाना कांड संख्या–116 / 2021, तरियानी थाना कांड संख्या–144 / 2021 एवं वाद दैनिकी की कंडिका–38 में तरियानी थाना कांड संख्या–10 / 2025 दर्ज है एवं अभियुक्त बजरंगी कुमार के विरूद्ध तरियानी थाना कांड संख्या–10 / 2025 दर्ज है। आवेदकगण ने अग्रिम जमानत आवेदन के कंडिका 3 में यह कथन किया है कि उपरोक्त मुकदमा दबाव हेतु इस वाद के सूचक एवं सूचक के पत्नी द्वारा किया गया है। वाद दैनिकी की कंडिका–43 में जख्मी सुधीर सिंह का जख्म जॉच रिपोर्ट अंकित जो कि साधारण प्रकृति का है। वाद में अनुसंधान अभी जारी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अन्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण 1.अनिल सिंह एवं 2. बजरंगी सिंह को आदेश की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर सक्षम विद्वान न्यायालय के समक्ष

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–174 / 2026
तरियानी थाना कांड संख्या–63 / 2026.
सरकार बनाम् अनिल सिंह व अन्य
अंतर्गत धारा–339(3), 126(2), 118(1), 109(1), 76, 74, 303(2), 352, 351(2), 351(3), 3(5) of BNS.

आत्म–समर्पण करने या गिरफ्तार होने पर सम्बन्धित विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी के संतुष्टियोग्य मो0–10,000 / –(दस हजार रूपया) के दो समान प्रतिभू एवं जमानत बंध–पत्र निष्पादित किये जाने पर धारा–482(2)बी0एन0एस0एस0 के शर्त के साथ अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश प्रदान किया जाता है। **अभियुक्तगण 1.अनिल सिंह एवं 2. बजरंगी सिंह प्रत्येक माह के 1 वीं एवं 15 वीं तिथि को 11:00 बजे छः माह तक थाना प्रभारी, तरियानी थाना के समक्ष सदेह उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगें एवं थाना प्रभारी, तरियानी थाना अभियुक्तगण 1.अनिल सिंह एवं 2. बजरंगी सिंह के व्यवहार एवं आचरण की निगरानी छः माह तक रखेंगें।**

लेखापित एवं शुद्विकृत,
ह0 / –
प्रधान सत्र न्यायाधीश
शिवहर।
28.04.2026